उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0)
संख्या-23/2015-एस0ई0-4-758/दस-2015-ई0एम0-28/2014
लखनऊ : दिनांक : 26 फरवरी, 2015

कार्यालय-आदेश

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-ए-2-946/दस-10(8)/86, दिनांक 25-06-1986 के प्रस्तर-1 (4) के अनुसार वित्त विभाग में समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभागों के अधीन व्यवहरित प्रशासकीय विभागों के अनिस्तारित आडिट प्रस्तरों के निस्तारण हेतु विभागीय आडिट कमेटी के गठन हेतु वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में संबंधित व्यय-नियंत्रण अनुभाग के उप सचिव/संयुक्त सचिव (उप सचिव/संयुक्त सचिव न होने पर विशेष सचिव) को आडिट कमेटी में प्रतिनिधि नामित किया जाता है।

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-23/2015-एस0ई0-4-758(1)/दस-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार(लेखा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त प्रमुखसचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन।
(4) सचिवालय प्रशासन (बजट सेल) अनुभाग।
(5) वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग।
(6) वित्त (आडिट) प्रकोष्ठ।
(7) वित्त (लेखा) अनुभाग-2
(8) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अरविन्द मोहन चित्रांशी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in